

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

ई-मेल

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-
सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण
पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी)।

विषय : पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत संचालित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, बरियारपुर एवं
लुठहॉ-02, पूर्वी चम्पारण को अनुरक्षण एवं मरम्मत मद से वर्तमान वित्तीय वर्ष
2026-27 में व्यय हेतु कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये मात्र) के उपावंटन की
स्वीकृति के संबंध में।

पटना, दिनांक

आदेश : स्वीकृत।

राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना ली गयी है। अधिकांश जिलों में छात्रों के छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वह संचालित भी है। सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत इन छात्रावासों के रख-रखाव की योजना सम्प्रति अनुरक्षण एवं मरम्मत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गयी है। सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, बरियारपुर एवं लुठहॉ-02, पूर्वी चम्पारण के आर०ओ०, चिलर, खिड़की में जाली, पलंबर, ए०सी०, पंखा इत्यादि की मरम्मत हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति उपावंटित की जाती है:-

- इस छात्रावास की सुरक्षा/ सफाई हेतु निबंधित एजेंसी के माध्यम से ही सुरक्षा/ सफाई कर्मों की सेवा प्राप्त की जाएगी।
- उक्त आवंटित राशि से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 4600 दिनांक-01.09.2025 के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में अधिष्ठापित जेनरेटर एवं फ्रीज का वार्षिक रख-रखाव, फर्नीचर की मरम्मत, फिटिंग फिक्सचर का कार्य, छात्रावास अधिष्ठापित उपस्करों की मरम्मत एवं पलंबरिंग कार्य किया जायेगा।
- उपर्युक्त उपावंटित राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत बजट मुख्य शीर्ष- 2053- जिला प्रशासन उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष-0010- अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय विपत्र कोड-30-2053000940010, विस्तृत शीर्ष-27 लघु कार्य विषय शीर्ष-02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मांग संख्या- 30 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- उपावंटित राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है।
- इस राशि की निकासी हेतु CFMS से उपावंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उपावंटित राशि के व्यय से संबंधित लेखा विवरणी विधिवत् संधारित किया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र व्यय होने के पश्चात् भेजना सुनिश्चित करेंगे।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि० दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
10. इस योजनान्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-4989/वि० (2) दिनांक-16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में अपेक्षित होगा।
11. यह आवंटनादेश वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
12. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निहित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा।
13. पी०डब्ल्यू०डी० संहिता में वर्णित निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. उक्त उपावंटित राशि व्यय होने के पश्चात् अतिरिक्त राशि के लिए प्राप्त अधियाचना के आधार पर भविष्य में राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
15. जिस कार्य हेतु राशि उपावंटित की गई है, उसी कार्य में राशि का व्यय किया जायेगा।
16. स्वीकृत्यादेश में वर्णित आवंटन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- अ०स०क०-०८-२९/२०११ (खण्ड-ख)
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- अ०स०क०-०८-२९/२०११ (खण्ड-ख)
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- अ०स०क०-०८-२९/२०११ (खण्ड-ख)
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ई-मेल

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक

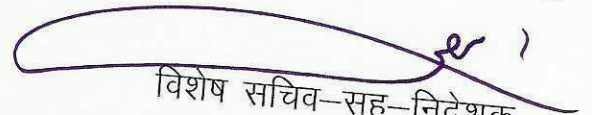
ज्ञापांक :- अ०स०क०-०८-२९/२०११ (खण्ड-ख)
प्रतिलिपि:- वरीय प्रभारी पदाधिकारी, विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- अ0स0क0-08-29/2011 (खण्ड-ख) पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:- उप सचिव (CFMS Approver), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि CFMS के माध्यम से राशि उपवांटन
के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाय।

ज्ञापांक :- अ0स0क0-08-29/2011 (खण्ड-ख) 376 ह०/-
प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/मनीष स्वराज, प्रोग्रामर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक 14/09/26


विशेष सचिव-सह-निदेशक 14/9